(3)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म0प्र0

प्र0क0 / /2015 अपील अपील 1081-II-15

श्रीमती पुष्पा पत्नि बल्देवराज भगत
निवासी चन्देरी रोड मुँगावली
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर

---अपीलांट

विरूद्व

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर

---रिस्पाण्डेन्ट

(अपील अंतर्गत धारा--44, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 -- अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 58/14--15 अपील में पारित आदेश दिनांक 28--2--15 के विरूद्व)

महोदय,

अपील करने के संक्षिप्त कारण

यह कि अपीलांट के नाम नगरपालिका क्षेत्र मुंगावली की आवासीय कालोनी में भूमि सर्वे कमांक किता 2 रकबा 0.017 है. का प्लाट भूमिस्वामी स्वत्व पर पटवारी अभिलेख में दर्ज है जिसकी अपीलांट एकमात्र भूमिस्वामिनी है। यह भूमि अपीलांट ने पंजीकृत विकय पत्र से कय की है अर्थात शासन से प्राप्त पटटे की भूमि नहीं है।

यह कि अपीलांट का यह भूखंड नगरपालिका मुंगावली क्षेत्र में स्थित है जो अपीलांट के प्रयोग का नहीं है क्योंकि आजीविका चलाने एंव बच्चों की परवरिश करने के लिये आय का साधन नहीं है। यह भूखंड नगरपालिका क्षेत्र में होने से कीमती है जिसे विकय करके अपीलांट नजदीक के ग्राम में कृषि भूमि कय करेगी, जिसकी फसल से अपीलांट स्व्यं की आजीविका चलाते हुये बच्चों की परवरिश एंव पढ़ाई लिखाई करायेगी तथा अन्य कृषि योग्य भूमि को भी सिंचित करके फसल पैदावार बढ़ायेगी। अपीलांट जाति की आदिवासी अनूसचित जनजाति की है जिसके कारण कलेक्टर महोदय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील 1081–दो/2015 जिला अशोकनगर

श्रीमती पुष्पा विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–6–2015	अपीलांट अभिभाषक श्री जी0पी0 नायक उपस्थित। प्रत्यर्थी शासकीय पैनल अभिभाषक श्री बी0एन0 त्यागी उपस्थित। 2/ अपीलांट ने यह अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 58/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–2–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदिका अनुसूचित जनजाति की महिला है। अपीलांट का भूखण्ड नगर पालिका मुंगावली क्षेत्र में स्थित है। अपीलांट उक्त भूखण्ड विकय कर कृषि भूमि कय करना चाहती है जिससे अपनी आजीविका चलाते हुये बच्चों की परवरिश कर सके। इसके लिए अपीलांट ने कलेक्टर को विकय की अनुमति दिये जाने बावत आवेदन पेश किया। कलेक्टर ने अपीलांट की परिस्थितियों पर विचार न कर आदेश दिनांक 4–7–14 से विकय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त न्यायालय में इसकी अपील की तब अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 28–2–15 के द्वारा कलेक्टर के आदेश को उचित ठहराया गया। अपीलांट की भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। स्वअर्जित भूमि के विकय की अनुमति न देने में अधीनस्थ न्यायालयों ने भूल की है। उनके द्वारा यह भी	

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि नगर पालिका निगम क्षेत्र में स्थित प्लाट के अंतरण के लिए जिलाधीश से अनुज्ञा ली जाना आवश्यक नहीं है इस पर धारा 165(6) के उपबन्ध आकर्षित नहीं होते हैं फिर भी रजिस्ट्रार द्वारा विक्रय पत्र पंजीयन से इन्कार करने के कारण कलेक्टर को अनुमति हेतु आवेदन दिया। जैसा कि अपीलार्थी अभिभाषक ने कहा है कि अपीलार्थी जिस भूमि को विक्रय करना चाहती है वह स्वअर्जित नगरीय क्षेत्र स्थित आवासीय प्लाट है जिसपर धारा 165(6) के उपबन्ध आकर्षित नहीं होते। यदि ऐसा है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को कलेक्टर न्यायालय में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट अभिभाषक ने यह भी तर्क में बताया कि रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन से इंकार कर दिया है इसलिए कलेक्टर से अनुमति चाही गई थी, इस संबंध में अपीलांट की ओर से पंजीयन करने से इन्कार करने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। यदि रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश दिया जाता है तो अपीलांट सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में इस अपील में ग्राह्यता का औचित्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य